



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 26, शक 1937

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-ए 3-58-2015-1-पांच(44).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सूचना दिनांक 13 नवम्बर 2015 को “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में,—

(एक) भाग 3 क में, अनुक्रमांक 8 के सम्मुख कॉलम (3) में, अंक “14” के स्थान पर, अंक “16”

स्थापित किया जाए;

(दो) भाग 4 में, अनुक्रमांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“1 सभी प्रकार के अमद्यसोरिक (नॉन-अल्कोहलिक) पेय तथा पानीय जिनमें शरबत, उत्तेजक पेय, आसुत रस समिलित हैं, जबकि वे सील बंद या प्रवृत्त (कैप्सूल) या कॉर्क लगी हुई बोतलों या बरनियों में बेचे जायें (इस अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट पेय एवं सील बंद आधानों में बेचे जाने वाला जल को छोड़कर); 20

2 समस्त प्रकार के दो पहिया, तीन पहिया तथा चार पहियों से अधिक पहियों वाले मोटर यान जिनमें उनकी चेसिस तथा बॉडिज, उनके पुर्जे तथा उपसाधन, जीप ट्रेलर (अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर); 15

3 प्रशीतक (रेफ्रिजिरेटर्स) अतिहिमीकरण यंत्र (डीप फ्रीजर्स) वातानुकूलन संयंत्र (एयरकंडीशनिंग प्लांट्स) जिसमें वातानुकूलन (एयरकंडीशनर्स) यांत्रिक, जल शीतक (मेकेनिकल वाटर कूलर्स), वातशीतक (एयर कूलर्स) और उनके संघटक, पुर्जे तथा उपसाधन समिलित हैं; 15

4 टेलिविजन. 15

5 अन्य सभी माल, अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर

14

यह संशोधन दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-ए 3-58-2015-1-पांच(44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-58-2015-1-पांच (44), दिनांक 17 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> December 2015

No. F-A 3-58-2015-1-V (44).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in Schedule II of the said Act, notice of which having been previously published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)” dated 13th November 2015 as required by the proviso to sub-section (1) of Section 70-A of the said Act, namely:—

#### AMENDMENTS

In Schedule-II to the said Act,—

- (i) In PART III-A, against serial number 8, in column (3), for the figure “14”, the figure “16” shall be substituted;
- (ii) In PART-IV, for serial number 1 and entries thereto, the following serial numbers and entries thereto shall be substituted, namely:—
  - “1 All kinds of non-alcoholic drinks and beverages including syrups, cordials, distilled juices when sold in sealed or capsule or cork bottles or jar (excluding those drinks mentioned elsewhere in the schedule and water sold in sealed container); 20
  - 2 All types of two wheeler, three wheeler and four wheeler motor vehicle and motor vehicle with more than four wheels including their chassis and bodies, parts and accessories thereof, jeep trailers (excluding those mentioned elsewhere in the schdeule-I and schedule-II); 15
  - 3 Refrigerators, deep freezers, air conditioning plants, including air conditioners, mechanical water coolers, air coolers and components, parts and accessories thereof; 15
  - 4 Television. 15
  - 5 All other goods, excluding those mentioned elsewhere in Schedule-I and Sechedule-II. 14”

These amendments shall come into force from 18th December, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.